1. मूल्या पुत्र श्री नारायण जाति मीना निवासी बासंखो तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री मनीष पारीक, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 03.08.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश ,देनांक 05.12.2006 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार बस्सी द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को न तो कोई विधिवत नोटिस ही दिया है और ना ही अपीलार्थी की प्रोपर तामील करवाई गई और अपीलार्थी को एकपक्षीय निर्णय के अन्तर्गत वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में आराजीयात सम्बन्धित अपने हक व अधिकारों को सिद्ध करने हेतु सबूत, साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिस पर अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2006 पारित किया जो न्यायसंगत नही होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी तहसीलदार बस्सी की अदालत में अथवा तहसील में कभी भी इस प्रकरण में कभी उपस्थित ही नही हुआ है तथा न ही अपीलार्थी को कभी तहसीलदार के कोर्ट का नोटिस ही मिला है फिर भी तहसीलदर ने अपीलार्थी की चस्पान्गी से तामील मानते हुये एकपक्षीय निर्णय सादिर किया है वह एकपक्षीय निर्णय मिलीभगत से साझपूर्वक व ईर्ष्या तथा द्वेषता की भावना से पारित किया गया जो विधि व न्यायिक निर्णय की संज्ञा में नही होने के कारण एकपक्षीय निर्णय न्यायोचित नही होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर ने अपने निर्णय में अपीलार्थी की चस्पान्दगी से तामील को सही मानते हुए जो निर्णय सादिर किया है वह निर्णय कानून के प्रावधानों के विपरित होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका की जांच किये ही केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर व रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये एकपक्षीय निर्णय पारित किया वह निर्णय न्यायोचित

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने इस कानूनी व न्यायिक बिन्दुओं की अनदेखी करते हुये जो निर्णय दिनांक 05.12.2006 सादिर किया है वह मंसूख किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यो के मद्देनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा अपील संख्या 62/2006 पर पारित निर्णय दिनांक 05.12.2006 एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रकरण संख्या 59/2006 पारित निर्णय दिनांक 29.07.2006 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करे जिससे अपीलार्थी को उचित न्याय व राहत मिल सके एवं अपीलार्थी अपने कब्ज काश्त व खातेदारी की आराजीयात से महरूम न हो सकें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी सम्वत् 2061, 2062, 2063 में पुनः बार बार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करता रहा है जिससे उन्हे कई बार बेदखल भी किया गया, पैनल्टी इत्यादि भी लगाई गई उसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा पुनः राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी साबित होने पर ही तहसीलदार बस्सी द्वारा आदेश दिनांक 29.07.2006 पारित किया गया है जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष होने पर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2006 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण करने पर पूर्व में उन्हे दो बार बेदखल किया गया तथा बेदखल किये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा पुनः राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाता रहा है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली संख्या 4/2005 निर्णय दिनांक 24.02.2005 एवं पत्रावली संख्या 579/2005 निर्णय दिनांक 18.01.2006 के निर्णय से पुष्टि होने पर ही तहसीलदार बस्सी द्वारा आदेश दिनांक 29.07.2006 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2006 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2006 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर